D:\R.K.Sonwal Folder\Genral\Election Leave 2017.Doc

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 12.11.18

–: आदेश :–

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के विधानसभा आम चुनाव, 2018 दिनांक 28.11.2018 में मतदान करने हेतु ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो अन्य राज्य अथवा क्षेत्र में नियोजित है को मतदान दिवस के अवसर पर उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर्स) धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाडा, चितौडगढ, प्रतापगढ़, भीलवाडा, कोटा, बारां एवं झालावाड़ को प्राधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हo/

(डॉ.पी.डी.पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 02.11.2018 के क्रम में।
9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. सम्बन्धित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) राजस्थान।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. निदेशक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
18. रक्षित पत्रावली।

12/11/18

उप शासन सचिव

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या : 3492
दिनांक : 6/11/18

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

विषयः– मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा आम चुनाव, 2018– राज्य के सीमावर्ती जिलों में मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश है कि जहां मतदान हो रहा है, उस क्षेत्र के मतदाता जो अन्य राज्य अथवा क्षेत्र में नियोजित है, उन्हें मतदान के दिन अवकाश दिया जावे।

मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा आमचुनाव के लिए दिनांक 28.11.2018 को मतदान होगा। अतः मध्य प्रदेश राज्य से लगते हुए राजस्थान राज्य के जिलें क्रमशः धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाडा, चितौडगढ, प्रतापगढ, भीलवाडा, कोटा, बांरा एवं झालावाड जिलों के कार्मिक जो मध्य प्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता है, मतदान दिवस दिनांक 28.11.2018 का अवकाश हेतु आवेदन करने पर उक्त जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्राधिकृत करावें एवं प्रसारित आदेश की एक प्रति भी इस विभाग को प्रेषित करें।

(विनोद पारीक)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन (ग्रुप 2) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।
अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा./2017/ 9154
जयपुर, दिनांक 2-11-18

Urgent

JS / Sr Sonwala 5/11/18

5/5

श्री सोनवाल 6/11/18